

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ

निर्देश याचिका सं०-२२६०/२०२३

सुरेश चन्द्र उर्फ सुरेश चन्द्र वर्मायाची
बनाम

उ०प्र० राज्य व अन्य ...विपक्षीगण

आदेश

याचिका प्रस्तुत। पुकार करायी गयी।
याची की तरफ से कोई उपस्थित नहीं है।
विपक्षी सं०-१ की तरफ से विद्वान प्रस्तुकर्ता
अधिकारी उपस्थित। विपक्षी सं०-२ लगायत ४
की तरफ से उसके विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

आज प्रस्तुत मामले में याची की तरफ
से न तो कोई मौखिक एवं न ही कोई
लिखित स्थगन प्रस्तुत किया गया। विगत
तिथि दिनांक ०७.०२.२०२५ एवं ११.०३.
२०२५ को भी याची की तरफ से कोई
उपस्थित नहीं था।

अतएव, याची की प्रस्तुत याचिका याची
की अनुपस्थिति एवं पैरवी के अभाव में मात्र
(बिना गुण-दोष पर सुने व विचार किये ही)
निरस्त किया जाता है। पत्रावली
दाखिल-अभिलेखागार हो।

ह०/-
(विनोद कुमार-III)
उपाध्यक्ष (न्यायिक)